न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 12/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

एयु स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व नाम ''ए.यू. फाईनेन्सर्स(इण्डिया) लि.'')
पताः– 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर–302001 राजस्थान।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामेश्वर (ऋणी व बंधनकर्ता)
   पताः– 59, थालौड़ा की ढ़णी, किकरालिया, ग्राम– बालोर, तहसील– दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान– 332403।
2. मंजू पत्नी जगदीश (सहऋणी)
   पताः– 59, थालौड़ा की ढ़णी, किकरालिया, ग्राम– बालोर, तहसील– दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान– 332403।
3. नरेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश (सहऋणी)
   पताः– 59, थालौड़ा की ढ़णी, किकरालिया, ग्राम– बालोर, तहसील– दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान– 332403।
4. रतन लाल पुत्र हीरा लाल (जमानती)
   पताः– 20, हरीपुरा, सड़क के दोनों ओर, ग्राम– बूटोली, तहसील व जिला सीकर, राज.

अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

सत्यमेव जयते

निर्णय दिनांकः 05 फरवरी, 2018

Web Copy Not Official

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **महेश शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **जगदीश, मंजू, नरेन्द्र कुमार, रतन लाल** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **जगदीश प्रसाद पुत्र रामेश्वर लाल थालौड़ की सम्पति जो ग्राम पंचायत–श्यामपुरा, पंचायत समिति– पिपराली द्वारा जारी किया गया पट्टा नं. 1303 के अनुसार जो थालौड़ा की ढ़ाणी (श्यामपुरा), पंचायत समिति– पिपराली, जिला सीकर, राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सम्पति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी माप लगभग 390 वर्गगज है। जिसके उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में आराजी महावीर, पूर्व में रामचन्द्र का मकान, पश्चिम में स्वयं की कब्जाशुदा भूमि स्थित है,** को बंधक रखकर **3,75,000/–**रूपये (अक्षरे रूपये **तीन लाख पचहत्तर हजार** मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **04.05.2017** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **04.05.2017** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **जगदीश, मंजू, नरेन्द्र कुमार, रतन लाल** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **जगदीश प्रसाद पुत्र रामेश्वर लाल थालौड़ की सम्पति जो ग्राम पंचायत–श्यामपुरा, पंचायत समिति– पिपराली द्वारा जारी किया गया पट्टा नं. 1303 के अनुसार जो थालौड़ा की ढ़ाणी (श्यामपुरा), पंचायत समिति– पिपराली, जिला सीकर, राजस्थान में स्थित है।जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सम्पति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी माप लगभग 390 वर्गगज है। जिसके उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में आराजी महावीर, पूर्व में रामचन्द्र का मकान, पश्चिम में स्वयं की कब्जाशुदा भूमि है,** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

7. आदेश आज दिनांकः 05 फरवरी, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official